न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–161/2018 प्रार्थना पत्र

-श्री शंकर पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री रामप्रसाद पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री गोपाल पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री कैलाश पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-चांदू बेवा काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-सायर पुत्री काना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थीगण

बनाम

-श्री छीतर पिता मांग्या जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमतिउगमी पत्नि गणेश उर्फ जग्गा जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति बदाम पुत्री मांग्या जाट पत्नि हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री देबी पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री भैरू पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
-श्री जगदीश पिता मथरा जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री भंवर पिता किशना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री अम्बालाल पिता श्री किशना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री सुवालाल पिता श्री किशना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री शोभाराम पिता किशना जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–27.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 234 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, 1125 रकबा 2 बिस्वा, 1126 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, व 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, व 10 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, व 10 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे लगाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 06.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 3 उपस्थित नही। विपक्षी संख्या 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 13.3.2019 को एक तरफा र्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 4 व 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त ये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 4 व 11 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे लाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 15.5. 019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक रफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, सल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में थत हाल आराजी नम्बर 234 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, 1125 रकबा 2 बिस्वा, 1126 रकबा 5 बिस्वा ल किता 3 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का ादेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 1000/–रूपये क हजार रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके र जमा करांवें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की ावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner